भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1517
12 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को प्राप्त होने वाले लाभ

1517# श्री मदन राठौड़:
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्री सामिक भट्टाचार्यः
श्रीमती धर्मशीला गुप्ताः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बाराः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) योजना के क्रेडिट-लिंक्ड घटक के माध्यम से दो लाख सूक्ष्म-उद्यमों तक लाभ पहुँचाने को किस प्रकार सुनिश्चित कर रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन के बाद ऋण स्वीकृति में औसतन कितना समय लग रहा है;

(ख) अगस्त 2025 के बाद पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु कौन से नए प्रावधान लागू किए गए हैं और मंत्रालय इन समूहों के लिए उच्च राजसहायता के प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार कर रहा है; और

(ग) क्या पीएमएफएमई के अंतर्गत सामान्य सेवा प्रदाताओं के लिए संवर्धित वित्तपोषण संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उनके उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से एक केंद्र प्रायोजित "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत जमा किए गए ऑनलाइन प्रस्तावों के लिए ऋण को, ऋण देने वाले बैंक मूल्यांकन के पश्चात मंज़ूर करते हैं । इस योजना के अंतर्गत दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सहायता देने के लक्ष्य की तुलना में, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 1,62,744 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

एमओएफपीआई ऊपर दिए गए लक्ष्य को पाने के लिए नियमित तौर पर ऋण देने वाले बैंकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ बैठकें करता है। साथ ही , सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) स्तर और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) में उठाया जाता है। योजना की पहुँच और फ़ायदा आखिरी छोर के लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर नियमित कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ।

डीपीआर अनुमोदन के बाद सम्पूर्ण देश में ऋण मंजूरी का औसत समय लगभग 50 दिन है। तथापि, वास्तविक समय आवेदकों द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारियों/ऋण देने वाले बैंकों को दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

(ख) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए सालाना 8.3% और 4.3% निधियों का आवंटन तय किया गया है । महिला उद्यमियों के लिए निधियों का कोई विशिष्ट आवंटन नहीं है। योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों में लगी महिला एसएचजी सदस्यों के लिए कार्यशील पूंजी और छोटे औज़ार खरीदने के लिए हर एसएचजी सदस्य को 40000 रुपये की प्रारम्भिक पूंजी सहायता दी जाती है।

अगस्त 2025 के बाद पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत कोई नया उपाय लागू नहीं किया गया है। तथापि, अगस्त 2025 के बाद यानी दिनांक 01.09.2025 से 31.10.2025 तक महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए पीएमएफएमई योजना की प्रगति इस प्रकार है:

- **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी :** 4,521 महिलाओं, 678 अनुसूचित जाति और 761 अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए ऋण मंज़ूर किए गए हैं
- **प्रारम्भिक पूंजी :** 10,422 एसएचजी सदस्यों के लिए 38.19 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं ।
- **क्षमता निर्माण :** 4629 महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने उन्नत वित्तपोषन के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है । तथापि, योजना के दिशानिर्देशों में विद्यमान प्रावधान के अनुसार, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी)/ सहकारी समितियां / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और इसके संघ / सरकारी एजेंसियों जैसे संगठनों द्वारा साझा अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 3.00 करोड़ रुपये है। ये सुविधाएँ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किराये पर उपलब्ध हैं ।
